

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 635]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—पौष 8, शक 1936

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 6-6-2014-अट्टावन.—मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अधिसूचना क्र. 315, दिनांक 24 जुलाई, 2014 में आलू फसल के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टर क्रमशः रुपये 60,000 (प्रीमियम रुपये 7,200) तथा रुपये 1,00,000 (प्रीमियम रुपये 12,000) निर्धारित की गई है.

2. आलू फसल के लिये निर्धारित बीमित राशि एवं देय प्रीमियम के लिए एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—
- आलू फसल के लिए बीमित राशि प्रति हैक्टर अधिकतम रुपये 1,00,000 (एक लाख) हो सकेगी.
 - उक्त सीमा के भीतर कराए गए बीमा की राशि पर 12% बीमा प्रीमियम देय होगा.

आर. एस. जुलानिया, प्रमुख सचिव,